दैनिक भास्कर

पटना, शुक्रवार, 21 सितंबर, 2018 | 2

जीएसटी का लाभ नहीं देने वाले बिल्डरों पर होगी कार्रवाई

रेरा अध्यक्ष ने दिया निर्देश, ग्राहकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ दें बिल्डर

पॉलिटिकल रिपोर्टर|पटना

जीएसटी का फायदा ग्राहकों को नहीं देने वालों पर कार्रवाई होगी। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने सभी बिल्डरों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ खरीदारों को देने का निर्देश दिया है। रेरा के अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे देखा जा रहा है कि बिल्डर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ खरीददारों को नहीं दे रहे हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक रेरा में कोई शिकायत नहीं आई है। सदस्य राजीव भूषण सिन्हा और सुबोध कुमार सिन्हा ने बताया कि रेरा की ओर से निर्देश जारी कर सभी बिल्डरों को इसकी जानकारी दी जा रही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट सामान बनाने वाले कारोबारियों को सरकार की तरफ से मिलने वाली छूट है। जिसका लाभ ग्राहकों को दिया जाना है।

गुरुग्राम में बिल्डर को 8.22 करोड़ लौटाने का आदेश

इस बीच इस मामले में पहली कार्रवाई करते हुए नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी (एनएए) ने हरियाणा के गुरुग्राम के बिल्डर को ग्राहकों को 8.22 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। एनएए ने गुरुग्राम के पिरामिड इंफ्राटेक को तीन महीने के अंदर 18 फीसदी ब्याज के साथ 2,476 ग्राहकों को यह राशि लौटाने का आदेश दिया है।